न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 47 / 2024 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री दूले सिंह पिता मोखम सिंह जी राजपूत, निवासी मुणवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती भुर कुँवर पत्नी दूले सिंह जी राजपूत, निवासी मुणवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती गुलाबबाई बेवा सज्जन सिंह जी राजपूत, निवासी मुणवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री भगवत सिंह पिता सज्जन सिंह जी राजपूत, निवासी मुणवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री ललीत सिंह पिता सज्जन सिंह जी राजपूत मृतक के बजाय :–
   - 5 / 1. श्रीमती कंचन कुँवर बेवा श्री ललीत सिंह जी राजपूत, निवासी मुणवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
   - 5 / 2. श्री मेहेन्द्र सिंह पिता श्री ललीत सिंह जी राजपूत, निवासी मुणवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
   - 5 / 3. श्रीमती पुष्पा कुँवर पत्नी श्री हेमेन्द्र सिंह जी राजपूत, निवासी वरडा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
   - 5 / 4. सुश्री सवीता कुँवर पुत्री श्री ललीत सिंह जी राजपूत, निवासी मुणवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती ताराकुंवर बेवा शकंर सिंह जी राजपूत, निवासी मुणवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री भोपालसिंह पिता शकंर सिंह जी राजपूत, निवासी मुणवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती शिला कुंवर पुत्री शकंर सिंह जी राजपूत, निवासी मुणवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.), हाल मुकाम उरिया (रामपुरिया) पोस्ट उथनोल तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।
9. श्रीमती सुरजकुंवर बेवा तेजसिंह जी राजपूत, मृतक के बजाय :–
   - 9 / 1. श्रीमती कैलाश कुँवर पत्नी श्री सोहनसिंह जी राजपूत, निवासी भानसोल, तहसील मावली जिला उदयपुर (राज.)
   - 9 / 2. श्रीमती प्रेम कुँवर पत्नी श्री फतेह सिंह जी राजपूत, निवासी पालवास, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
   - 9 / 3. श्री रणजित सिंह पिता तेजसिंह जी राजपूत, निवासी मुणवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
   - 9 / 4. श्री अभयसिंह पिता तेजसिंह जी राजपूत, निवासी मुणवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:53:56 IST
Reason: SelfAttested

10. श्री अभयसिंह पिता तेजसिंह जी राजपूत, निवासी मुणवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्री रणजित सिंह पिता तेजसिंह जी राजपूत, निवासी मुणवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री किशनसिंह पिता रघुनाथसिंह जी राजपूत, निवासी मुणवास, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)।

.....रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी बड़गांव
दि॰ 24–12–2024 प्र0सं0 24/2021

———/———

उपस्थित :– 1. श्री नरेश जणवा अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री गजेन्द्र नाहर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या – 01

———::———

निर्णय **दिनांक 30–06–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 संपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विपक्षी के नाम संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा मुणवास के खाता संख्या नया 104 व पुराना 100 में कुल किता 42 कुल रकबा 5.3400 हैक्टेयर, मौजा मोहनपुरा के खाता संख्या नया 119 व पुराना 101 में कुल किता 01 कुल रकबा 1.1400 हैक्टेयर, मौजा मुणवास के खाता संख्या नया 327 व पुराना 306 में कुल किता 05 कुल रकबा 0.2900 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थीगण लम्बे समय से अपने हिस्से पर भाई बंटवाडे के अनुसार काबिज हो काश्त कर रहे है। विपक्षी ने प्रार्थीगण की भूमि मे अनाधिकृत प्रवेश कर नींव खोद दी और पत्थर, रेती डालकर निर्णाण कार्य चालू कर भूमि का भौतिक स्वरूप ही बदलने पर आमादा है। अतः विपक्षी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह प्रार्थीगण के स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे की भूमि में अनधिकृत प्रवेश ना करें ना ही काश्त में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:53:56 IST
Reason: SelfAttested

बाधा उत्पन्न करें ना उक्त कार्य अपने किसी नौकर, एजेन्ट के माफ़्त करावें।

2. विपक्षी संख्या 01 की ओर से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजियात प्रार्थीगण एवं विपक्षी के संयुक्त स्वामित्व खातेदारी एवं आधिपत्य की है। कानूनन सहखातेदार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। विपक्षी द्वारा प्रार्थीगणों को कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं की गई है। अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24–12–2024 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील दिनांक 31–12–2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंटगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र नाहर उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश जणवा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र आदेशिका पर निर्णय पारित करते हुये अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर कोई विवेचन नहीं किया है। स्थगन होने के बावजूद विपक्षी द्वारा मौके पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जबकि पक्षकारों के मध्य विभाजन का दावा विचाराधीन है। बिना विधिवत विभाजन के कोई एक सहखातेदार किसी विशिष्ट भूभाग पर मौके पर निर्माण कार्य नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट/विपक्षी को रोका जाना आवश्यक है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है एवं मात्र आदेशिका पर निर्णय पारित कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावें तथा प्रकरण नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:53:56 IST
Reason: SelfAttested

6. उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बताया कि सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावे।

7. हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित आराजियात पक्षकारों की सहखातेदारी में दर्ज है तथा पक्षकारों के मध्य विभाजन का वाद विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र आदेशिका पर निर्णय पारित करते हुये यह अंकित किया कि विपक्षी संख्या 01 प्रार्थीगण के हिस्से की उपजाऊ भूमि पर कब्जा करना साबित करने मे असफल रहें है। उक्त आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है, अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर कोई विवेचन नहीं किया है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में उक्त तीनों बिन्दुओं को देखा जाना आवश्यक है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

8. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24–12–2024 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन के मद्दे नजर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करते हुये साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25–08–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 30–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:53:56 IST
Reason: SelfAttested